



SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

BILASPUR/ DIV



ID: 2021056587

Office Of: Sr.Divisional Personnel Officer

Office Order No. :
DPB/799/2021

Date : 05-08-
2021

चिकित्सा शाखा संबंधित निम्नलिखित त्वरित प्रभावी आदेश जारी किया जाता है: -

The following order pertaining to Medical Department is issued to have immediate effect:-

APPROVAL OF PCMD/SECR IS HEREBY COMMUNICATED FOR INTER RAILWAY MUTUAL TRANSFER OF SHRI AJIT KUMAR NANDI, PHARMACIST/SDL/BSP WITH SHRI MADHAV PRASAD PANDEY, PHARMACIST/CLW/CHITTRANJAN WITH THE FOLLOWING CONDITIONS:

Sr No.	Name / HRMS ID / Employee No	Sub Type / W.E.F	Existing Particular	Revised Particular	Employee Signature	Employee Photo	Remarks
			Department / Designation Zone /Division/Station/Office/Section BU Pay Level/Basic Pay	Department / Designation Zone /Division/Station/Office/Section BU Pay Level/Basic Pay			
1	AJIT KUMAR NANDI / BEHEPK / 50818207741	Mutual Transfer - Inter-Railway / -	MEDICAL / CHIEF PHARMACIST SECR / BSPD / SDL / DMO/SDL / 3402612 7 / 58600	MEDICAL / PHARMACIST (NON FUNCTIONAL GRADE) CLW / CLWP /CLW / KGH/CRJ NA 6 / 58600			IRMT WITH SRI MADHAV PRASAD PANDEY PHS/CLW/KGH/CRJ

नोट:- 1. आई०आर०एम०टी० नियमानुसार कर्मचारी को वरीयता दी जावेगी। कालांतर मे वे अपने मूल यूनिट /रेल्वे मे स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। यह आदेश तभी लागू होगा जब रिलीज करते समय समबन्धित कर्मचारी पर कोई अनुशासन एवं अपील/सतर्कता का कोई मामला लंबित न हो। किसी भी प्रकार की कोई स्थानांतरण सुविधा देय नहीं होगी। मु० का० अधि०/द०पू०म० रेल्वे के स्थापना क्र० 94/2006 एवं 32/2018 के अनुसार म्यूचुअल स्थानांतरण से पीछे हटने संबंधी किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जावेगा। जिन कर्मचारी की भर्ती 01-01-2004 के बाद हुआ है, उन्हें रिलीज करते समय उनका एन०पी०एस० एवं प्रान संख्या रिलीज मेमो मे आवश्यक रूप से दर्शाये। संबंधित कर्मचारी को 02 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ, उचित पहचान पत्र, बायें अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर का नमूना के साथ इस कार्यालय को निर्देशित किया जाये। रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक (एनजी) I-2017 / TR / 24 दिनांक 09-05-2018, RBE No.65/2018 और दपूमरे के स्थापना नियम सं. 139/2018 के अनुसार " दोनों कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर रिलीवर की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत भारमुक्त किया जाये।"

2.अन्य नियम व शर्तें प्रधान कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं NG/183/2021 दिनांक 28.07.2021 के अनुसार यथावत रहेगी

Assistant Personnel Officer

File Reference No. :E/SA/Medical/MU/TFR/20/29098

Copy forwarded for information and necessary action to:

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/ द.पू.म.रे बिलासपुर, प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक / बिलासपुर, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/बिलासपुर, चिकित्सा निदेशक/केंद्रीय चिकित्सालय / द.पू.म.रेल्वे बिलासपुर, सहायक मण्डल चिकित्सा अधिकारी/ शहडोल ,व.रा.अधि., वरि.मण्डल वित्त प्रबन्धक, सीएलडबल्यू/केजीएच /चित्तरंजन , मु.का.अधी./ (बिल-1), कर्मचारी से संबंधित, सेवा-पुस्तिका, कार्यालय आदेश फाइल।
PCPO/SECR /BSP, PCMD/ BSP, CMS /BSP, ADMO/SDL, SR.RBA, SR.DFM, CLW/KGH/CRJ, Ch.OS (Bill-1), STAFF CONCERNED, O.O. FILE.

Assistant Personnel Officer